



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001
jodjodhpur.rajasthan.gov.in ईमेल: http://email:-jodjodhpur@rajasthan.gov.in phone no- 0291.2612036, 0291.2656355 फ़ि. 0291.261537

क्रमांक:- 125

दिनांक:- 12/6/2020

:: ई-निविदा सूचना संख्या: जोन-03/2020-21 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अनुमती एवं अन्तिम रूप से सनदी लेखाकार परीक्षा पारित व्यक्ति या संस्था से ऑनलाइन बिड आमंत्रित की जाती है। इसमें UDIN पंजीकृत सनदी लेखाकार भाग ले सकते हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थित रहकर सम्पूर्ण लेखाकान्त टेली/अपग्रेटेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के समाप्ति पर उक्त सॉफ्टवेयर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को हस्तान्तरित करना होगा। लेखाकान्त कार्य हेतु एकल खिडकी से प्राप्त चालान/रसीद तथा भुगतान के बाज़र ही उपलब्ध करायें जायेंगे। जिससे प्रतिदिन वांछित लेखाकान्त कार्य किया जायेगा तथा इसका प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण मुख्य लेखाधिकारी (नोडल अधिकारी) द्वारा किया जायेगा।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

क्र.सं	विवरण	निविदा की क्र. सं.	दिनांक व समय
1	ऑन लाईन निविदा फार्म की उपलब्धाता डाउनलोड आरम्भ होने की दिनांक व समय	01	दिनांक 15.06.2020 प्रातः 10.00 बजे से
2	ऑन लाईन निविदा फार्म डाउनलोड समाप्त होने की दिनांक व समय	01	दिनांक 26.06.2020, दोपहर 2.00 बजे तक
3	ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	01	दिनांक 15.06.2020 प्रातः 10.00 बजे से
4	ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	01	दिनांक 26.06.2020, दोपहर 2.00 बजे तक
5	ऑन लाईन SSO ID के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in पर urban service में Payment gateway for E-Tendering से निविदा शुल्क, धरोहर राशि, ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया शुल्क जमा कराने की अन्तिम दिनांक एवं समय	01	दिनांक 26.06.2020, दोपहर 2.00 बजे तक
6	ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	01	दिनांक 26.06.2020 सायं 3.00 बजे

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	जोन कार्यालय
1.	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु दोहरी लेखा पद्धति से लेखों को तैयार करना, मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्नर्स तैयार कर ऑन-लाईन फाईल करना।	16.00	32.00	500/-	24 माह	जोन मुख्यालय

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :—

- 01 निविदा की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- 2 निविदा शुल्क व धरोहर राशि सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम देय हो तथा प्रोसेसिंग फीस MD RISL Jaipur के नाम देय हो। जो कि ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से sso.rajasthan.gov.in पर urban services में Payment gateway for E-Tendering से निविदा प्रमाणपत्र अपलोड किये जाने आवश्यक हैं।
- 3 निम्नांकित पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड किये जाने आवश्यक हैं।
(ए). वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी)
(बी). आयकर (पैन न.)
- 4 Annexure A to D अपलोड करना आवश्यक है।
- 5 शर्त एवं निर्देश (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय मोहर के) निविदा के साथ अपलोड करने आवश्यक है।
- 6 वित्तीय बिड पूर्णरूप से भरकर प्रस्तुत की जायेगी।
- 7 वित्तीय बिड में किसी भी प्रकार की कांटछांट/ओवरराईटिंग होने की दशा में अपने लघु हस्ताक्षर कर मोहर लगाये।
- 8 संशर्त निविदाये स्वीकार नहीं होगी।
- 9 वित्तीय बिड ऑनलाइन अपलोड करना आवश्यक है।
- 10 ई-टेन्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :—
 - इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदादाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से देख/डाउनलोड कर सकते हैं।

- निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट सार्डट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। अॅन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट है। इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट हैं तो नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।
 - निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसका प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
 - इलेक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
 - कोई भी टेंडर इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
 - टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करें।
- 11 निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फार्मेट में वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करवानी होगी।
- 12 निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदाये खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
- 13 प्रदत दरे निविदा खोलने की दिनांक से 50 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य होगी यदि निविदाकर्ता द्वारा उक्त अवधि में अपनी निविदा/शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापिस लेता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 14 निविदा में वर्णित कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- 15 सफल सेवा प्रदाता को कार्य आदेश प्राप्ति के 7 दिवस के अन्दर नियमानुसार राशि के नोन ज्यूडिशियल स्टान्प पर करार पत्र नियादित करना होगा।
- 16 सभी प्रकार के विवाद के लिये न्यायक्षेत्र जोधपुर होगा किसी भी विवाद की स्थिति में सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 17 प्रतिमूर्ति राशि कार्यदेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर जमा करानी होगी जिसमें धरोहर के रूप में जमा 2 प्रतिशत राशि समायोजित कर ली जायेगी जो अनुबंध के समाप्ति के पश्चात संतोषजनक रूप से कार्य पूर्ण करने पर लौटाई जाएगी यदि संवेदक द्वारा बीच में ही अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 18 राज्य/केन्द्र सरकार के द्वारा लागू अन्य कोई कर यदि हो तो उसकी कटौती कर भुगतान किया जाएगा।
- 19 आरटीपीपी एक्ट 2012/ नियम 2013 के प्रावधान उक्त निविदा पर लागू होंगे।
- 20 नेगोशियेशन की आवश्यकता होने पर ईमेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
- 21 बोलीदाता द्वारा विभिन्न पंजीकरण प्रमाणपत्र निविदा के साथ अपलोड किये जाने होंगे तथा जो निम्नानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे।
- 22 यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेवारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपायन संस्था का सक्षम प्राधिकरण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- 23 किसी भी बिन्दु पर विवाद की दशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा जो संवेदक को मान्य होगा।
- 24 उपरोक्त शर्तों के अलावा वित्तीय बिड प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों अक्षरशः लागू रहेगी।

क्रमांक : 126-120

प्रतिलिपि वार्ता सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य लेखाधिकारी समस्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. सहायक लेखाधिकारी, समस्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा का <http://www.eproc.rajasthan.gov.in>, www.jodhpurjda.org एवं www.sppp.raj.nic.in की वेबसाइट पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करें।

दिनांक : 12/6/2020

मुख्यलेखाधिकारी

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

मुख्यलेखाधिकारी

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

उपरोक्त शर्तों को मेरे द्वारा सावधानीपूर्वक पढ़ लिया गया है एवं उक्त शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

संवेदक के हस्ताक्षर
मय मोहर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-3420

jodhpur.rajasthan.gov.in ईमेल साईट <http://email-jdajcdhpur@rajasthan.gov.in> phone no- 0291.2612088,0291.2656355 मो नं 0291.261837

क्रमांक:-

दिनांक:

:: वितीय बिड ::

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तुत की जाने वाली दरें
1	<p>(A) दैनिक रूप से सम्पादित किये जाने वाले कार्य</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) रोकड़ पुस्तिका <ul style="list-style-type: none"> (a) नियमित व्यवहारों (transactions) से संबंधित (b) आवश्यकतानुसार व्यवहारों (transactions) से संबंधित (अगले दिन तैयार करना, हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करना) (ii) चालान समाधान विवरण पंजिका <ul style="list-style-type: none"> एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकल खिड़की से जारी चालानों एवं बैंक में जमा चालानों का मिलान करना तथा इसमें अशुद्धि सुधार कर डाटा लॉक करना अंतिम रूप चालान समाधान विवरण की दिनांकवार पंजिका की हार्डकॉफी संबंधित करना। (iii) डे-बुक (iv) बैंक-बुक <p>(B) मासिक रूप से सम्पादित किये जाने वाले कार्य :-</p> <ul style="list-style-type: none"> (आगामी की 10 दिवस तक प्रस्तुत करना) <ul style="list-style-type: none"> (i) बैंक समाधान विवरण तैयार करना <ul style="list-style-type: none"> (लगभग खातों की (संख्या है इसमें वृद्धि भी संभव) (ii) वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) कटौती सूचीया तैयार करना, इसके अन्तर्गत <ul style="list-style-type: none"> (a) TAN आधारित माहवारी कर का आंकलन, चालान बनाकर ऑन लाईन कर का भुगतान करने का कार्य (b) PAN आधारित माहवारी कर का आंकलन, चालान बनाकर ऑन लाईन कर का भुगतान करने का कार्य (iii) (A) वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत PAN आधारित माहवारी रिटर्न सरकार द्वारा प्रस्तावित रिटर्न GSTR-1, GSTR-1A, GSTR-2, GSTR-2A, GSTR-3(प्रति माह रुपये 10,000) और वार्षिक रिटर्न बनाकर ऑनलाइन जमा करवाने का कार्य (B) वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत TAN आधारित माहवारी रिटर्न सरकार द्वारा प्रस्तावित रिटर्न GSTR-7, और वार्षिक रिटर्न बनाकर ऑनलाइन जमा करवाने का कार्य (C) वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अन्तर्गत (TAN) खातों पर काटे गए कर का मासिक प्रमाण पत्र बनाकर जारी करवाने का कार्य (अनुमानित गैर कर्मचारी 100) (IV) लेखाशीर्षकवार प्राप्तियो एवं भुगतान का विवरण तैयार करना जिससे वैको के प्रारंभिक एवं अन्तिम शेष का उल्लेख करना आवश्यक है। <ul style="list-style-type: none"> (V) लेजर तैयार करना <ul style="list-style-type: none"> (a) सुरक्षा राशि (b) आयकर (c) जी.एस.टी. (d) रायल्टी (e) लेवर सेस (f) संवेदक लेजर (पारित विल में किये भुगतान का विवरण) (g) अरथाती / स्थायी अप्रिम (i) कर्मचारी <ul style="list-style-type: none"> (ii) विभाग (h) योजनावार भुग्ति धिक्य <ul style="list-style-type: none"> (i) 90 A/B 40% एवं 60% राजस्व प्राप्तियां 	

निधिदाता के हस्ताक्षर

मुख्यलेखाधिकारी
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

	<p>(C) ब्रैमासिक रूप से तैयार करना (ब्रैमासिक समाप्ति के 10 दिवस में)</p> <p>(a) आयकर विभाग में ब्रैमासिक / वार्षिक टी.डी.एस. रिटर्न 24Q का ओन लाइन फाइलिंग कार्य (रुपये 15,000) (अनुमानित कर्मचारी 250)</p> <p>(b) आयकर विभाग में ब्रैमासिक टी.डी.एस. रिटर्न 26Q का ओन लाइन फाइलिंग कार्य (प्रति माह रुपये 15,000) (अनुमानित गैर कर्मचारी 150)</p> <p>(C) कर्मचारीयों का वार्षिक आय प्रमाण पत्र फॉर्म 16 (A+B) जारी करने का कार्य, जो की आयकर विभाग द्वारा प्रमाणित (TRACES) के अन्तर्गत होना चाहिए (अनुमानित कर्मचारी 250)</p>	
	<p>(D) वार्षिक रूप से तैयार करना</p> <p>(15 अप्रैल तक तैयार करना होगा)</p> <p>(1) तलपत्र तैयार करना</p> <p>(2) प्राप्तियां एवं भुगतान विवरण</p> <p>(3) आय एंव व्यय का विवरण</p> <p>(4) बैलेन्स सीट</p>	
	<p>(E) आर्डर रिपोर्ट तैयार करना</p>	

शर्तः-

1. सनदी लेखाकार व्यक्ति/फर्म को दोहरा लेखा पढ़ति से लेखे तैयार करने होंगे तथा सम्पूर्ण कार्य टेली या इससे भी अपग्रेडेट संभाव्यता का उपयोग करते हुये जिसमें प्रतिदिन/मासिक/ब्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का विकल्प होगा तथा इसके संधारण हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के एक कार्मिक को भी ट्रेनिंग देनी होगी जिसका अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।
2. सनदी लेखाकार व्यक्ति/फर्म का एकाधिकार कार्मिक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कार्यालय में प्रतिदिन कार्यालय समय में उपस्थित रहकर लेखांकन कार्य करेगा। इस हेतु एक कम्प्युटर एवं एक प्रिन्टर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायेगा।
3. मासिक/ब्रैमासिक/छ: माही/वार्षिक रूप से तैयार किये जाने वाले कार्यों की तिथि आगामी माह की 10 तारीख होगी। इसमें विलम्ब होने पर प्रतिदिवस रु. 1000/- की दर से शास्त्री आरोपित की जा सकेगी।
4. प्रत्येक रिपोर्ट/पंजिका विवरण अपनी सील एवं हस्ताक्षर मय UDIN के प्रस्तुत करने होंगे।
5. सरकारी रिटर्न-मासिक/ब्रैमासिक/वार्षिक जैसा भी नियमों में देय हो, में देशी होने पर व्याज एवं ऐनलटी की वसूली सनदी लेखाकार व्यक्ति/संस्था से वसूली की जायेगी।
6. दैनिक रूप से संधारित कार्यों की रिपोर्ट या पंजिका मासिक रूप से वांइड करवाकर तथा अपने हस्ताक्षर मय UDIN के देनी होगी।
7. सनदी लेखाकार व्यक्ति/संस्था द्वारा तैयार कर संधारित प्रत्येक कार्य की अलग-अलग विषयवार पत्रावली प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें विस्तृत विवरण सूची एवं चालान रिटर्न इत्यादि होने अनिवार्य हैं।
8. भुगतान भी जैसे-जैसे कार्य सम्पन्न होगा वैसे-वैसे मासिक/ब्रैमासिक/छ: माही/वार्षिक रूप से किया जायेगा।
9. सनदी लेखाकार व्यक्ति/फर्म को 500/- के नौन ज्यूडियशल स्टॉप्स पेपर पर अनुबंध करना होगा तथा कार्यादेश राशि का 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि जमा करना अनिवार्य होगी।


 मुख्यलेखाधिकारी
 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

निविदादाता के हस्ताक्षर